न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2013 (बांसवाड़ा डिक्री)

गेन्दाल पिता लालजी (दत्तक पुत्र नादरिया), जाति भील, निवासी गांव पण्ड़वालऊंकार हाल तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हिमोड़ी पुत्री नादरिया (पत्नी झिथा), जाति भील, निवासी गांव पण्ड़वालऊंकार हाल तहसील सज्जनगढ़, हाल मुकाम गांव कोटड़ी बगायचा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. दीता माता श्रीमती जानुड़ी, जाति भील, निवासी गांव पण्ड़वालऊंकार, हाल मुकाम नया गांव, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती झोमां पुत्री नादरिया (पत्नी कालु), जाति भील, निवासी गांव पण्ड़वालऊंकार हाल मुकाम मोटापाड़ा, तह0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा।
4. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
5. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
दिनांक 23.05.2012, प्र.सं. 51/2010

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 3
3— राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 12—04—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 183, 92(ए) व 209

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पण्ड़ावालऊंकार में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियां कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादीगण के पूर्वज मूल खातेदार नादरिया पिता माला भील के खातेदार का कब्जे काश्त की है। नादरिया की मृत्यु होकर उसके वारिसान वादीगण होकर काबिज चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के परिवार का सदस्य नहीं है। नादरिया के तीन पुत्रियां हिमोड़ी, जानुडी व झौमां हुई, जिसमें से जानुडी के मृत्यु होकर उसका वारिस दीता है, जो वादीगण हैं। अभी गत वर्ष 2009 के आषाढ़ माह में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण से लड़ाई झगड़ा कर बल पूर्वक आराजी नंबर 39 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिण दिशा की तरफ 40 X 40 फिट पर एक टापरा बना लिया है तथा वादीगण के रोकने पर धमकियां दी कि उक्त खेत उनके नाम दर्ज हो गये हैं, जिससे वादीगण ने रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उन्हें ज्ञान हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के अनपढ़ व अज्ञानता का नाजायज लाभ उठाकर चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नादरिया का नकली वारिस बताकर नामान्तरकरण संख्या 499 से अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि वादीगण खातेदार नादरिया के एक मात्र वारिस होकर जीवित हैं। अतएवं वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बल पूर्वक आराजी नंबर 39 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिण दिशा की तरफ 40 X 40 फिट पर जो टापरा बना लिया है उसे निष्कासित कर भूमि का आधिपत्य वादीगण को दिलाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 25—04—2012 को उभयपक्षों के मध्य राजीनामा होकर राजीनामें में निम्नानुसार वर्णित किया गया :—

''उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 22, 23, 24/1, 25, 39, 41, 42, 43, 45, 537/22, 539/14 कुल खेत 11 रकबा 16.13 एकड़ लगान 15.45 रूपया पर अपना कोई हक हिस्सा लेना नहीं चाहता है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त खेतों पर वादीगण का कब्जा है। अतएवं निवेदन

है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर माफिक वाद वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमावे एवं डिक्री पर्चा जारी किया जावे।''

उक्त राजीनामे के बाद प्रकरण में दिनांक 23–05–2012 को उभयपक्षों की बहस सुनकर वादीगण का वाद डिक्री करते हुए विवादित आराजियात से प्रतिवादी संख्या 1 गेन्दाल का नाम हटाये जाने एवं आराजी नंबर 39 पर बने टापरे को हटाये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–11–2013 को पेश की की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित नहीं करवाया गया, ऐसे स्थिति में उन्हें साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। बिना मौखिक साक्ष्य के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में भूल की है। वादीगण का उक्त भूमियों पर एक दिन भी कब्जा नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में घोषणात्मक डिक्री जारी नहीं की जा सकती। मूल खातेदार नादरिया के कोई पुत्र संतान नहीं होने से उसने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को जाति रीति रिवाज अनुसार गोद लिया तथ प्रतिवादी संख्या 1 ने ही उसकी सेवा चाकरी की। तब से उक्त भूमियों पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। भील जति रिवाज अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। दिनांक 14–10–2013 को जब तहसीलदार अपीलान्ट का टापरा हटाने गये तो अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर वाद दिनांक 23–05–2012 को डिक्री किया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट को दिनांक 23–05–2012 के निर्णय की जानकारी नहीं हो। अपीलान्ट यह कहता है कि दिनांक 14–12–2013 को उसका टापरा हटाये जाने के लिए तहसीलदार एवं पटवारी आये तब उसे उक्त प्रकरण की जानकारी हुई, परन्तु अपीलान्ट का उक्त कथन करीब

डेढ़ वर्ष की अवधि के विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। अतएवं अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने बहस में भाग लिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए एवं गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु निवेदन किय

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाये गये इसलिए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सरकार का जवाब लिये बिना ही वाद डिक्री करने में भूल की है। खातेदार नादरिया के पुत्र संतान नहीं होने से भील जाति रिवाज अनुसार उसने अपीलान्ट को गोद रखा। भील समाज में पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं होता है। टापरा हटाये जाने का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया है। प्रथम दृष्टया राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री की कोई अपील ही लाई नहीं होती है। राजीनामे में भी टापरे बाबत प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गहा है कि कब्जा वादीगण का है। राजीनामा होने के बाद साक्ष्य के प्रदर्श का कोई आधार नहीं है तथा पेश शुदा राजस्व रेकार्ड जो कि प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, उससे भूमि नादरिया की होना स्पष्ट है तथा वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट नादरिया के वारिस होना निर्विवाद है, जबकि अपीलान्ट

गोद पुत्र के आधार पर उक्त भूमियों का स्वामित्व बताता है, जबकि इस बाबत उसके द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि भूमिधारी की आपत्तियां उठाने का अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं है तथा भील समाज में पुत्रियों का हक पिता की सम्पत्ति पर नहीं होता हो, इस बाबत् भी कोई पारम्परिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार हम गुणावगुण पर भी अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2012 अपास्त की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

गेन्दाल पिता लालजी (दत्तक पुत्र नादरिया, नि. गांव पण्ड़ावालऊंकार हाल तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा

बनाम

हिमोडी पुत्री नादरिया (पत्नी झिथा) जाति भील, नि.गांव पण्ड़ावालऊंकार हाल मुकाम गांव कोटडी बगायचा, त. कुशलगढ़, जि. बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं............**20/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
..... **कुशलगढ़** .... मुकाम...............मुवर्खे.............**23**...............माह..............**05**.............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**12**....माह........**04**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी......**श्री जयेन्द्र पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व .... **श्री यशपाल गुप्ता**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2012 अपास्त की जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**12**.....माह.......**04**...........**2018**
को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।